निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1339) पटना, शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2026

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

30 अक्तूबर 2026

अधिसूचना संख्या– 06/2026–राज्य कर (दर)

एस० ओ० 230, दिनांक 30 अक्तूबर 2026— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम– 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (1),(3) और (4), धारा 11 की उप–धारा (1), धारा 15 की उप–धारा (5), धारा 16 की उप–धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है,, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या–11/2017– राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 554, दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा **प्रकाशित** किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में, -

(क) सारणी में, -

i. क्रम संख्या **7** के समक्ष**,** कॉलम (3) में **-**

(क) मद **(i)** के समक्ष**,** कॉलम **(5)** में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा **(**यानी होटल आवास सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई होटल आवास सेवा**)**, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभावित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। **[**कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या **(iv)** देखें।**]**

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' से ₹7,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा बुक की। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, किसी अन्य आपूर्तिकर्ता 'ग' से ₹10,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा प्राप्त करता है। 'ग', 'ख' से 9% की दर से राज्य कर (₹900) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 2.5% की दर से राज्य कर वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति की गई समान राह में इनपुट सेवा पर केवल ₹250 (₹10,000 का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹900 का।";

(ख) मद (ii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यवसाय की तरह ही इनपुट और इनपुट सेवाएँ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा (यानी निर्दिष्ट परिसर के अलावा रेस्तरां सेवा के किसी अन्य सेवा प्रदाता से खरीदी गई सेवा), नहीं लिया गया है **[**कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या **(iv)** देखें।**]**";

(ग) मद (iii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट और इनपुट सेवाएँ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा (यानी माल की आपूर्ति, मानव उपभोग के लिए भोजन या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय, चाहे ट्रेनों में या प्लेटफार्मों पर, भारतीय रेलवे या आई.आर.सी.टी.सी. या उनके लाइसेंसधारियों से खरीदा गया हो) सेवा प्रदान करने में

प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभावित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। **[**कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या **(iv)** देखें।**]";**

(घ) मद (iv) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"**बशर्ते** कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा (यानी बाह्य कैटरिंग सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभावित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। **[**कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या **(iv)** देखें।**]**

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।";

(ङ) मद (v) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"**बशर्ते** कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा (यानी बाह्य कैटरिंग सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभावित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। **[**कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या **(iv)** देखें।**]**

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' को विनिर्दिष्ट परिसर से भिन्न परिसर में आयोजित विवाह समारोह के लिए ₹1,00,000 की राशि पर परिसर को किराए पर देने के साथ बाह्य कैटरिंग की सम्मिश्र आपूर्ति हेतु नियोजित किया। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, ₹60,000 की राशि पर किसी अन्य बाह्य कैटरिंग सेवा प्रदाता 'ग' को नियोजित करता है। 'ग', 'ख' से 9% की दर से राज्य कर (₹5,400) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 2.5% की दर से राज्य कर (₹2,500) वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति

की गई समान राह में इनपुट सेवा, अर्थात् बाह्य कैटरिंग सेवा, पर केवल ₹1,500 (₹60,000 का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹5,400 का।";

ii. क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (via) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अतं:स्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(vib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है ।	2.5	**बशर्ते** कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है। **[**कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या **(iv)** देखें।**]** **बशर्ते** कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। *उदाहरण:* 'A' 1000 रुपये में 'B' को विद्युत संचालित वाहन से नई गया से दिल्ली तक परिवहन के लिए नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से राज्य कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से राज्य कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये ।
		या
	9	-";

iii. क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ia) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अतं:स्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(ib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है ।	2.5	**बशर्ते** कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है। **[**कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या **(iv)** देखें।**]** **बशर्ते** कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। *उदाहरण:* 'A' यात्रियों के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से राज्य कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से राज्य कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये ।
		या
	9	-";

"(ic) माल के परिवहन के लिए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है ।	2.5	**बशर्ते** कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में माल के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है। **[**कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या **(iv)** देखें।**]** **बशर्ते** कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। *उदाहरण:* 'A' माल के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से राज्य कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से राज्य कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये ।
	या	
	9	-";

iv. क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (iii) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के अलावा डिलीवरी सेवाएं,	2.5	**बशर्ते** कि डिलीवरी सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं

(क) जिसकी आपूर्ति *इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक* के माध्यम से की जाती है जहां ऐसी सेवाओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है (ख) वैसे माल के संबंध में, जिस माल की आपूर्ति *इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक* के माध्यम से की जाती है।		पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या (iv) देखें]।";

(ख) अनुच्छेद 3 को हटा दिया जाएगा;

(ग) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,

i. खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

'(xxxx)"माल परिवहन एजेंसी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।';

ii. खंड (xxxxiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(xxxxv)"विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे सड़क वाहन से है जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट की गई एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है और इसमें ई-साइकिल शामिल होगी।'.

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[(सं०सं०– बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–22) 06)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

30 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 230, दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०– बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017 (खंड–22) 06)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 30th October 2026

Notification No 06/2026- State Tax (Rate)

S.O. 230, Dated 30th October 2026— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Tax Department notification No. 11/2017- State Tax (Rate) dated 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette Extraordinary, vide No. 554 dated 29.06.2017, namely:—

In the said notification, -

a) in the Table, -

(i) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

"**Provided** that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. hotel accommodation service procured from another supplier of hotel accommodation service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)].

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges State tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' books a hotel accommodation from 'B' for ₹7,000 per unit per day. 'B', for supplying the said service, procures hotel accommodation service from another supplier 'C' for ₹10,000 per unit per day. 'C' charges 'B' State tax at the rate of 9% (₹900). 'B' charges 'A' State tax at the rate of 2.5%, 'B' shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of ₹250 (2.5% of ₹10,000) and not ₹900.";

(B) against item (ii), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

"**Provided** that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of restaurant service other than at specified premises), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]";

(C) against item (iii), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

"Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of inputs and input services in the same line of business (i.e. supply of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, whether in trains or at platforms, procured from Indian Railways or IRCTC or their licensees), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]";

(D) against item (iv), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

"**Provided** that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. Outdoor catering service procured from another supplier of outdoor catering service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges State tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.";

(E) against item (v), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

"**Provided** that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. outdoor catering service procured from another supplier of outdoor catering service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges State tax at a rate higher than 2.5%, credit of

input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for a composite supply of outdoor catering together with renting of premises at premises other than specified premises, for a wedding function for ₹1,00,000. 'B', for supplying the said service, engages 'C', another outdoor catering service provider, for ₹60,000. 'C' charges 'B' State tax at the rate of 9% (₹5,400). 'B' charges 'A' State tax at the rate of 2.5% (₹2,500), 'B' shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business, i.e. outdoor catering service supplied by 'C', only to the extent of ₹1500 (2.5% of ₹60,000) and not ₹5,400.";

(ii) against serial number 8, after item (via) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vib) Transport of passengers by any electrically operated vehicle designed to carry passengers where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	**Provided** that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of passengers in an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider), has not been taken. [Please refer to *Explanation* No. (iv)] **Provided further** that where the supplier of input service in the same line of business charges State tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken. **Illustration:** 'A' engages 'B' for transportation of passengers from Gaya to New Delhi in an electrically operated vehicle for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires an electrically operated vehicle with operator from 'C' for Rs. 800.'C' charges 'B' State tax at the rate of 9% (Rs. 72). If 'B' charges 'A' State tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
	or	
	9	-";

(iii) against serial number 10, after item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ib) Renting of any electrically operated vehicle designed to carry passengers where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	**Provided** that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of passengers in an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider) has not been taken. [Please refer to *Explanation* No. (iv)] **Provided further** that where the supplier of input service in the same line of business charges State tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken. **Illustration:** 'A' engages 'B' for renting of electrically operated vehicle for transportation of passengers for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, rents an electrically operated vehicle with operator from 'C' for Rs. 800.'C' charges 'B' State tax at the rate of 9% (Rs. 72). If 'B' charges 'A' State tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
	or	
	9	-";
"(ic) Renting of any electrically operated vehicle for transportation of goods where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	**Provided** that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of goods by an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider) has not been taken. [Please refer to *Explanation* No. (iv)] **Provided further** that where the supplier of input service in the same line of business charges State tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken.

		Illustration: 'A' engages 'B' for renting of electrically operated vehicle for transportation of goods for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, rents an electrically operated vehicle with operator from 'C' for Rs. 800.'C' charges 'B' State tax at the rate of 9% (Rs. 72). If 'B' charges 'A' State tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
	or	
	9	-";

(iv) against serial number 12, for item (iii) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) Delivery services, other than (i) and (ii) above, (a) supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (b) in relation to goods, where such goods are supplied through an electronic commerce operator.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying delivery service has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)].";

b) paragraph 3 shall be omitted;

c) in paragraph 4, relating to Explanation,

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted: -
'(xxxx) "goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called;'

(ii) after clause (xxxxiv), the following clause shall be inserted, namely:-
'(xxxxv) "electrically operated vehicle" means a road vehicle which runs solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such vehicle and shall include E- bicycles;'.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[(File No.Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-22)06)]
By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1339-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in